209 49. केंद्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) में पेंशन योजना और सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभों को लागू करने के संबंध में स्पष्टीकरण

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी) और दिनांक 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2 (70)/08–डीपीई(डब्ल्यूसी) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है, जो 01.01.2007 से सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के वेतन संशोधन से संबंधित हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ सीपीएसई की पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाओं सहित सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। डीपीई को इस संबंध में लगातार कुछ प्रश्न प्राप्त होते रहे हैं। सीपीएसई के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना को अंतिम रूप देते समय निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाए:

i. समय–समय पर यथासंशोधित डीपीई के दिनांक 26.11.2008 और 02.04.2009 के कार्यालय ज्ञापनों में यथाविहित सेवानिवृत्ति लाभों के लिए मूल वेतन + महंगाई भत्ता के 30% की शर्त का कड़ाई से अनुपालन किया जाना चाहिए।

ii. ये योजनाएं (पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ) सीपीएसई के स्थायित्व और उसकी वहन क्षमता जैसे घटकों की शर्त के अध्यधीन होंगी।

iii. इन योजनाओं के परिचालन के लिए सरकार द्वारा कोई बजटीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

iv. यह सुनिश्चित किया जाए कि वर्ष 2007 से संशोधित वेतन लागू करने से, जिसमें ये दोनों योजनाएं शामिल होंगी, वर्ष 2007–08 के लिए कर पूर्व लाभ में सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर यूनियनबद्ध पर्यवेक्षकों के संदर्भ में 20% से अधिक की गिरावट नहीं होनी चाहिए।

v. चूंकि सीपीएसई में 2007 के संशोधित वेतन को लागू करने की तारीख 01.01.2007 है, अतः प्रस्तावित योजना (योजनाओं) को सीपीएसई के ऐसे नियमित कर्मचारियों, जो उस तारीख को उसकी नामावली में शामिल थे और उसके पश्चात भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 01.01.2007 अथवा किसी आगामी तारीख से लागू की जाएं। यदि कोई नियमित कर्मचारी प्रस्तावित योजना में अपना अंशदान नहीं देना चाहता है, तो उसे इसका विकल्प दिया जाना चाहिए।

vi. इन योजनाओं में सीपीएसई का अंशदान उस सीमा तक ही सीमित होगा, जिस सीमा तक भविष्य निधि और ग्रैच्युटी सहित सेवानिवृत्ति संबंधी कुल लाभों में उसके द्वारा अंशदान किया जाता है, जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% की सीमा तक सीमित होता है। इसे सीपीएसई की लाभप्रदता और वहन क्षमता के आधार पर हर वर्ष संशोधित किया जा सकता है। हर वर्ष इन दोनों योजनाओं के लिए सीपीएसई द्वारा अंशदान दिए जाने की कोई गारंटी नहीं होना चाहिए।

vii. किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय सीपीएसई (कई सीपीएसई) में लगातार कम–से–कम 15 वर्ष की सेवा पूरी करनी चाहिए और सेवानिवृत्ति लाभ उस सीपीएसई द्वारा दिए जाएंगे, जहां से वह कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है।

viii. सीपीएसई में सेवा प्रारंभ करने से पहले सरकार में की गई सेवाओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक किसी सीपीएसई में कुल सेवा की गणना के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

ix. जहां तक निदेशक मंडल स्तर के कार्यपालकों का संबंध है, जो संविदा आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, वे भी इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके द्वारा किसी सीपीएसई में बोर्ड स्तर के कार्यपालकों के रूप में कार्यकाल की अवधि सहित सीपीएसई सहित (कई सीपीएसई) में लगातार की गई सेवा की कुल अवधि सेवानिवृत्ति के समय 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

x. यदि कोई कर्मचारी जो किसी सीपीएसई में सेवा से त्यागपत्र दे रहा है और किसी अन्य सीपीएसई, जहां इसी तरह की योजनाएं लागू हैं, में सेवा प्रारंभ कर रहा है, तो कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान की पूरी राशि और उस पर संचित ब्याज ऐसे सीपीएसई को स्थानांतरित किए जा सकते हैं, तथापि ऐसे कर्मचारी जो किसी दूसरे सीपीएसई में सेवाएं प्रारंभ करने के लिए किसी सीपीएसई से त्यागपत्र देते हैं जहां इसी तरह की योजनाएं लागू नहीं हैं, अथवा किसी ऐसे संगठन में सेवा प्रारंभ करते हैं, जो सीपीएसई की श्रेणी में नहीं आता है (भले ही ऐसी योजना उस संगठन में लागू हो या न हो), को इन योजनाओं के अंतर्गत संचित उनकी निधि स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। तथापि कर्मचारी के अंशदान की राशि के साथ–साथ उस पर संचित ब्याज कर्मचारी को लौटाया जाएगा।

xi. इन योजनाओं का लाभ केंद्र/राज्य सरकारों से किसी सीपीएसई में प्रतिनियुक्ति आधार पर पदस्थ कर्मचारियों को नहीं दिया जाना चाहिए।

xii. यदि इन योजनाओं के किसी नियमित सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, अथवा अक्षम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप सेवानिवृत्ति से पहले किसी सीपीएसई में उसकी 15 वर्ष की सेवा अवधि पूरी नहीं हो पाती है तो उसे इन योजनाओं के अंतर्गत यथालागू लाभ दिए जा सकते हैं।

xiii. वीआरएस/वीएसएस, जिनके लिए विशिष्ट योजनाएं बनाई गई हैं, के मामलों की सीपीएसई के कर्मचारियों के संबंध में यथालागू सरकार की विशिष्ट वीआरएस/वीएसएस जैसी योजनाओं के संदर्भ में जांच की जाएगी। इन योजनाओं के अंतर्गत लाभ वीआरएस/वीएसएस का चयन करने वाले कर्मचारियों को स्वयमेव नहीं दिया जाएगा।

xiv. सेवानिवृत्ति के समय कोई भी कर्मचारी पेंशन और/अथवा सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए किसी भी पदनामित एन्युटी सेविंग सर्विस प्रोवाइडर से एन्युटी के लिए विकल्प चुन सकता है।

xv. ऐसे कर्मचारियों, जिनके विरूद्ध सेवानिवृत्ति के समय अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, के संदर्भ में इन योजनाओं के अंतर्गत लाभों का सीपीएसई की आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली के अनुसार विनियमन किया जाएगा।

xvi. त्यागपत्र ('तकनीकी औपचारिकता खंड' के अंतर्गत शामिल त्यागपत्र को छोड़कर) और अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाए जाने, अनुशासनिक कार्यवाही के कारण निष्कासन के मामले में एन्युटी की राशि केवल सदस्य क अंशदान, यदि कोई है और उस पर संचित ब्याज पर ही आधारित होगी।

xvii. डीपीई के दिनांक 08.07.2009 और 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापन सीपीएसई के ऐसे कर्मचारियों, जो 01.01.2007 से पहले सेवानिवृत्त हो गए हैं, के लिए एक कॉर्पस निधि के सृजन से संबंधित हैं। इसलिए पेंशन और सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाओं तथा दिनांक 08.07.2009 और 20.07.2011 के कार्यालय ज्ञापनों में उल्लिखित कॉर्पस निधि के बीच कोई संपर्क नहीं है ।

xviii. ये योजनाएं ''परिभाषित अंशदायी योजना'' के अंतर्गत होंगी न कि ''परिभाषित लाभ योजना'' के अंतर्गत। विहित सीमा के भीतर और भुगतान हेतु वहन क्षमता के आधार पर सीपीएसई द्वारा दिए गए अंशदान के अध्यधीन किसी कार्यपालक को व्यक्ति विशेष के रूप में दिए जाने वाले लाभ का निर्धारण संचित राशि के आधार पर किया जाएगा।

xix. संगणना (कम्युटेशन) के प्रावधान को इसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 2007 के वेतन संशोधन संबंधी दिशानिर्देशों में पेंशन का प्रावधान किया गया है ताकि कर्मचारियों को समाजिक सुरक्षा दी जा सके और वे सेवानिवृत्ति के पश्चात मासिक पेंशन के रूप में अच्छी खासी धनराशि प्राप्त कर सकें।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. डब्ल्यू-02/0017/2014– डीपीई–(डब्ल्यूसी)–जीएल– **IX**/14, दिनांक 21 मई 2014)

******